

## सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर को स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अन्तर्गत रुद्रपुर शहर को ODF++ घोषित करने हेतु, नगर निगम रुद्रपुर को प्रारंभिक एवं आई0सी0संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम रुद्रपुर द्वारा केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में आमजन के उपयोग हेतु सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों व मुत्रालयों की व्यवस्था। समस्त रहवासी संघों द्वारा निर्मित रहवासी क्षेत्रों में पुरुष व महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था। नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत उक्त व्यवस्थाएँ समस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में 01 किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, समस्त व्यक्तिगत शौचालयों, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों में जल व्यवस्था, सेपटीक टैंक/जल-मल निकासी एवं डिस्पोजल को संग्रहित कर, उक्त जल-मल पंजीकृत वाहनों के द्वारा, निर्धारित दरों पर FSTP प्लांट वार्ड सं0 25, फजलपुर मैहरौला में खाद बनाने हेतु भेजा जाता है, उक्त गतिविधियां शहर के समस्त 40 वार्डों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

उपरोक्त के क्रम में इस सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की समय अवधि में सर्वसाधारण से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि में नगर निगम कार्यालय, रुद्रपुर में कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक अपनी आपत्तियों/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राप्त दावे/आपत्तियों/सुझाव के निराकरण पश्चात् अंतिम संकल्प के माध्यम से रुद्रपुर नगर निगम को ODF++ घोषित करते हुए उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराया जायेगा। सूचित होंगे।

-ह0-

नगर आयुक्त  
नगर निगम रुद्रपुर,  
ऊधमसिंह नगर

-ह0-

जिलाधिकारी/प्रशासक  
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)



Tele- 05944-242400 e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक-2022/स्वा0अनु0/2024-25

दिनांक-30/10/2024

प्रतिलिपी-

- 1- जिलाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, ऊधमसिंह नगर को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सम्पादक "अमर उजाला" समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में 08x06 साईज में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित करते हुए बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक छूट देने का कष्ट करें)
- 6- श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सूचना को नगर निगम की वेबसाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त  
नगर निगम रुद्रपुर  
ऊधमसिंह नगर